

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्ष:- श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं० – 151सी /2025
हरेन्द्र कुमार बनाम रविकान्त कुमार
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता-
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता-राधाकांत

13.05.2026 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में वाद आज आदेश हेतु निर्धारित है। परिवादी की ओर से पैरवी है। मामले में न्यायालय शपथ पर बयान, जॉच साक्ष्य, एवं परिवाद पत्र का अवलोकन करती है। शपथ पर बयान के अनुसार घटना 17.05.2025 की है। 04 बजे के आस-पास की घटना है। हम मनरेगा ऑफिस कार्य योजना हेतु बनाने गये तो वहाँ पर रविकांत कुमार से मुलाकत हुई वह मार-पीट किया और कहा की तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। तुम कमीशन नही दे रहे हो। पंकज कुमार गले में गलछी लगा कर खीच कर मारा और महावीरी छीन लिया।

प्रस्तुत मामलें में न्यायालय द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में परिवादी ने कहा की इन लोगो से 2025 से परिचय है।

प्रस्तुत मामला भा० न्याय० संहि० के लागू होने से बाद का है अतः अभियुक्तो को नोटिस निर्गत किया गया है। अभियुक्त उपस्थित हुए उनका कथन है की आरोप पूरी तरह से झूठा, काल्पनिक और मनगढ़ंत है, ऐसी कोई घटना नही घटी है और जान-बूझ कर फँसाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। अतः परिवाद पत्र को खारिज करने की कृपा की जाए।

प्रस्तुत मामले में जब न्यायालय परिवाद पत्र पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं परिवादी के बयान, जॉच साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय यह पाती है की मामलें में परिवादी के साथ जब वह मनरेगा ऑफिस योजना हेतु बनाने गये तो वहाँ पर अभियुक्तो रविकांत कुमार और पंकज कुमार ने उनके साथ मार-पीट किया और महावीरी छीन ली। साक्षियो ने घटना का समर्थन किया है।

अब न्यायालय समस्त साक्ष्यों के आधार पर समस्त अभिलेख का अवलोकन करती है तब न्यायालय भगवती देवी बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य 1975 ए. आई. आर.83 एस.सी. में दिए गए निर्देश जिसमें कहा गया है की शिकायत का संज्ञान लेना प्रारंभिक जॉच का हिस्सा है, संज्ञान का अर्थ यह नहीं है की आरोपी को दोषी माना जा रहा है बल्कि यह केवल यह तय करने के लिए है की मामला सुनवाई योग्य है की नहीं।

अगर शिकायत प्रथम दृष्ट्या अपराध को दर्शाती है तो मैजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार है, न्यायालय को प्रारंभिक चरण में अत्यधिक साक्ष्यों की मांग नहीं करनी चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय नुपुर तलवार बनाम केंद्रीय जॉच ब्यूरो (2012)11 एस.सी.सी. 465 में स्पष्ट कहा है की मैजिस्ट्रेट को शिकायत के तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए, अगर प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो संज्ञान लेने से इंकार नहीं किया जा सकता। संज्ञान के समय गहराई से साक्ष्य की सत्यता की जॉच करना आवश्यक नहीं है, यह कार्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाएगा।

माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने आर०आर० चारी बनाम् उत्तरप्रदेश राज्य ए०आई०आर 1951 एस०सी० 207 में कहा है की संज्ञान लेने समय मैजिस्ट्रेट को सिर्फ यह देखना होता है की गयी शिकायत से अपराध के बारे में खुलासा होता है या नही। उस समय बहुत ज्यादा विस्तृत में देखने की आवश्यकता नही होती हैं।

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्ष:- श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं० – 151सी /2025
हरेन्द्र कुमार बनाम रविकान्त कुमार
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता-
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता-राधाकांत

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय निर्मलजीत सिंह हून बनाम् पश्चिम बंगाल राज्य (1973)3एस0सी0सी0 753 में कहा है की संज्ञान लेते समय मैजिस्ट्रेट को केवल प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना आवश्यक हैं। यह संतुष्टि बहुत उच्च स्तर की नहीं होनी चाहिए। यदि शिकायत में आवश्यक तत्व दिख जाये तो मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय कर्नाटक राज्य बनाम पी0पी0 राजू (2006)6 एस0सी0सी0728 में कहा है की संज्ञान के स्तर पर मैजिस्ट्रेट को सारे साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं करना होता है, सिर्फ अपराध बनने का संकेत ही काफी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय बिहार राज्य बनाम मुराद अली (1988)4 एस0सी0सी0655 में कहा है की मैजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने से पहले साक्ष्यों को गहराई से तौलने की आवश्यकता नहीं है, अगर न्यायिक संतुष्टि प्रथम दृष्टया होती है तब संज्ञान लिया जा सकता है।

न्यायालय के सामने परिवादी के द्वारा की गयी शिकायत के तथ्यों के विश्लेषण के संबंध में एक तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण रविकांत कुमार एवं पंकज कुमार के द्वारा परिवादी के साथ मार-पीट कारित की गयी और उनके गले से महावीरी छीन ली गयी। मामलों में इस प्रकार से मार-पीट तथा चोरी का अपराध बनता प्रतीत होता है। इस प्रकार से प्रस्तुत मामले में न्यायालय मामले में संज्ञान के स्तर पर जब न्यायालय के समक्ष उपस्थित तथ्यों का अवलोकन करती है तो न्यायालय यह पाती है कि संज्ञान के समय न्यायालय केवल यह देखती है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है या नहीं। प्रस्तुत मामले में न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि मामले में अतः प्रस्तुत न्यायालय मामले में अभियुक्तगण रविकांत कुमार एवं पंकज कुमार के विरुद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा- 115(2), 303(2)/3(5) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाती है अतः अभियुक्तगण रविकांत कुमार एवं पंकज कुमार के विरुद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा- 115(2), 303(2)/3(5) के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है।

परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक-17.06.2026 तक समन की अपेक्षिताएं जमा करें।

लेखापित,

मनीष कुमार पाण्डेय

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
प्रस्तुत समक्ष:- श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
परिवाद पत्र सं० – 151सी /2025
हरेन्द्र कुमार बनाम रविकान्त कुमार
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता-
प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता-राधाकांत

(जे० ओ० कोड बी० आर० 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।